

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1101

जिसका उत्तर 20 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

विद्युतीकरण रहित ग्रामीण घरों का आकलन

1101. श्री बिनोय विस्वम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युतीकरण रहित ग्रामीण घरों का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 30 अगस्त, 2020 तक इस संबंध में किस हद तक उपलब्धियाँ प्राप्त की गई हैं और कितने गाँवों को विद्युतीकरण रहित छोड़ दिया गया है; और

(घ) सरकार ने देश में सभी ग्रामीण घरों को कवर करने की लक्षित तारीख क्या रखी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28.04.2018 तक देश में सभी बसे हुए जनसंख्या गाँवों का विद्युतीकरण हो गया है। भारत सरकार द्वारा विद्युत तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए मार्च, 2019 तक देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य शुरू की गई।

सभी राज्यों ने सौभाग्य पोर्टल पर घोषणा की कि 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। देश भर में, सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से, 31.03.2019 तक 2.63 करोड़ घर विद्युतीकृत किए गए। ऐसे विद्युतीकृत घरों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

इसके बाद, सात राज्यों ने 31.03.2019 से पहले चिन्हित 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घरों की सूचना दी है, जोकि पहले कनेक्शन लेने के लिए इच्छुक नहीं थे, परंतु बाद में कनेक्शन प्राप्त करने के लिए तैयार हो गए थे। राज्यों से सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत इन घरों को विद्युतीकृत करने को कहा है। इनमें से, 31.08.2020 तक 15.65 लाख घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। ऐसे विद्युतीकृत घरों की राज्य-वार सूची **अनुबंध-II** में दी गई है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 20.09.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1101 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

स्कीम की शुरुआत से अर्थात् 11.10.2017 से 31.03.2019 के दौरान सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	17,45,149
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397
6	गुजरात	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	15,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748
16	मेघालय	1,99,839
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,32,507
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुद्दुचेरी	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	18,62,736
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
<b>कुल</b>		<b>2,62,84,350</b>

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 20.09.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1101 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 से पहले चिन्हित इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य का नाम	गैर-विद्युतीकृत घर (पहले अनिच्छुक)	विद्युतीकृत घर		कुल	विद्युतीकृत करने के लिए शेष गैर-विद्युतीकृत घर (31.08.2020 तक)
			01.04.2019 से 31.03.2020 के दौरान	01.04.2020 से 31.08.2020 के दौरान		
1	असम	200,000	197,807	0	197,807	2,193
2	छत्तीसगढ़	40,394	29,534	7,341	36,875	3,519
3	झारखंड	200,000	131,880	7,195	139,075	60,925
4	कर्नाटक*	39,738	26,824	0	26,824	0
5	मणिपुर*	1,141	5,367	0	5,367	0
6	राजस्थान*	228,403	212,786	0	212,786	0
7	उत्तर प्रदेश	1,200,003	788,083	158,135	946,218	253,785
<b>कुल</b>		<b>1,909,679</b>	<b>1,392,281</b>	<b>172,671</b>	<b>1,564,952</b>	<b>3,20,422</b>

\* कर्नाटक, मणिपुर एवं राजस्थान राज्यों ने 100% घरों के विद्युतीकरण की पुष्टि कर दी है और विद्युतीकरण किए जाने वाले वास्तविक घरों का शेष शून्य है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1102

जिसका उत्तर 20 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत डिस्कॉम को चलनिधि अनुदान

1102. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सरकार द्वारा डिस्कॉम के लिए प्रस्तावित 90,000 करोड़ रुपये के चलनिधि अंतःक्षेपण का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस चलनिधि अंतःक्षेपण का लाभ उठाने के लिए क्या-क्या शर्तें रखी गईं;
- (ग) क्या यह सच नहीं है कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादन कम्पनियाँ डिस्कॉम को रियायतें दे रही हैं लेकिन उन रियायतों को अंतिम उपभोक्ता तक नहीं पहुँचाया जा रहा है; और
- (घ) यदि हाँ, तो मंत्रालय इसे किस तरह से सुनिश्चित करेगा?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार पावर फाइनेन्स कोरपोरेशन (पीएफसी) तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कोरपोरेशन (आरईसी) के माध्यम से विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए विद्युत क्षेत्र को समर्थ बनाने हेतु लिक्विडिटी प्रदान कर रही है क्योंकि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान नकदी प्रवाह बहुत कम हो गया है। इस हस्तक्षेप के अंतर्गत, आरईसी तथा पीएफसी दिनांक 30.06.2020 को मौजूद केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) उत्पादन कंपनियाँ (जेनको) तथा पारेषण कंपनियाँ (ट्रांसकोस), स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) तथा नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादकों की बकाया देयताओं को समाप्त करने हेतु विद्युत वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉमों) को 10 वर्ष तक के विशेष दीर्घावधिक परिवर्तन ऋण प्रदान कर रहे हैं। सरकार द्वारा घोषित 90,000 करोड़ रुपये के निषेचन पैकेज की तुलना में 16.09.2020 तक 70,590 करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा 24,742 करोड़ रुपये पहले ही वितरित/जारी किए गए हैं।

(ख) : लिक्विडिटी हस्तक्षेप का लाभ लेने के लिए लगाई गई शर्तें अनुबंध में दी गई हैं।

(ग) और (घ) : यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयूज (जेनको एवं ट्रांसकोस) द्वारा दी गई रियायतों/छूटों का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंच जाए, विद्युत मंत्रालय ने 10 जून, 2020 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-सीमा, जिसके दौरान राज्य सरकारें इस विशेष छूट का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं को देने की परिकल्पना करती हैं, के साथ विस्तृत विवरण देने के लिए अनुरोध किया है।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 20.09.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1102 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा घोषित 90,000 करोड़ रुपये के लिक्विडिटी निषेचन पैकेज के अंतर्गत ऋण लेने के लिए शर्तें

लिक्विडिटी निषेचन पैकेज के अंतर्गत वित्तपोषण प्रत्येक 45,000 करोड़ रुपये के दो भागों में किया जाएगा।

(i) भाग 1 की स्वीकृति एवं निर्मुक्ति के लिए संबंधित कंपनियों से निम्नलिखित वचनबद्धता ली जाएगी:

क. डिस्कॉम बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान को समर्थ बनाएंगे।

ख. डिस्कॉम उपभोक्ताओं द्वारा स्व-मूल्यांकन को समर्थ बनाएंगे (अनंतिम बिलिंग को सुकर बनाने के लिए मीटर के चित्र अथवा एसएमएस द्वारा मीटर रीडिंग भेजने के लिए प्रावधान करेंगे)। बिलों का निपटान और हिसाब एक बार जब मीटर का पठन हो जाएगा तब किया जाएगा। उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई राशि का प्रतितुलन किया जाएगा।

ग. संबंधित राज्य सरकार को सरकारी विभागों/संबद्ध कार्यालयों की विद्युत देयताओं के कारण देय भुगतानों का तीन वार्षिक किस्तों में परिसमापन करने और सरकारी विभागों/संबद्ध कार्यालयों आदि में स्मार्ट प्रीपेड अथवा प्रीपेड मीटर लगाने की भी वचनबद्धता देनी होगी ताकि भविष्य में डिस्कॉमों को विद्युत देयताओं का नियमित भुगतान होता रहे। राज्य सरकारें सब्सिडी की देयताओं का भी निपटान करने की और ऐसी प्रणाली को लागू करने की कि डिस्कॉमों द्वारा सब्सिडी बिल प्रस्तुत किए जाएं और प्रत्येक तिमाही में अग्रिम भुगतान किया जाए, वचनबद्धता देंगी। उपरोक्त वचनबद्धता पहली किस्त की निर्मुक्ति से पहले अपेक्षित होगी।

(ii) भाग 2 की प्राप्ति के लिए डिस्कॉमों को भाग 1 के समय दी गई वचनबद्धता के कार्यान्वयन का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा और निम्नलिखित भी देना होगा:

क. अगले 3 अथवा 4 वर्षों में उनकी हानियों को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा पृष्ठांकित योजना। इसमें चोरी में कमी लाने और वार्षिक आपूर्ति लागत (एसीएस) - वसूला गया वार्षिक राजस्व (एआरआर) अंतर को कम करने के उपाय शामिल होंगे।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1103

जिसका उत्तर 20 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

सौभाग्य योजना के क्रियान्वयन के बाद अपेक्षित विद्युत भार का आकलन

1103. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सौभाग्य योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के बाद विद्युत की अधिकतम मांग के समय अपेक्षित विद्युत भार का राज्य-वार आकलन किया है;
- (ख) यदि हाँ, तो विद्युत की अधिकतम मांग के समय अनुमानित विद्युत भार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या अनुमानित विद्युत भार को पूरा करने के लिए विद्युत ग्रिड की क्षमता पर्याप्त होगी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन की मात्रा एवं ग्रिड क्षमता को तदनुसार बढ़ाने की कोई योजना बनाई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) एवं (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा प्रकाशित 19वें विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण (ईपीएस) में यथा प्रक्षेपित विद्युत मांग का राज्य-वार प्राक्कलन **अनुबंध** पर दिया गया है। इस मूल्यांकन में सौभाग्य योजना के कारण मांग के वृद्धि के प्रभाव पर भी विचार-विमर्श किया गया है।

(ग) एवं (घ) : पावर ग्रिड की विद्युत उत्पादन तथा अंतर्राज्यीय पारेषण क्षमता विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। इससे परिलक्षित होता है कि देशभर में हमारे पास विद्युत एक्सचेंजों में ज्यादातर एकल मूल्य है क्योंकि विद्युत ग्रिड में कोई संकुलन नहीं है। इसके अतिरिक्त, विद्युत उत्पादन तथा पारेषण की भावी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए सीईए द्वारा राष्ट्रीय विद्युत योजनाएं (एनईपी) प्रकाशित की गई हैं।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 20.09.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1103 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2026-27 के लिए 19वें विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण (जनवरी, 2017 में प्रकाशित) में यथा प्रक्षेपित राज्य-वार मांग

(आंकड़े एमयू में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
दिल्ली	34201	35380	36573	37778	38997	40224	41557	42904	44267
हरियाणा	54062	57083	60336	63618	66747	70333	75110	80239	85743
हिमाचल प्रदेश	10523	10949	11394	11866	12360	12876	13417	13983	14576
जम्मू और कश्मीर	16283	17109	18017	18819	19963	21161	22433	23795	25254
पंजाब	61076	64730	68502	72392	76826	81369	86027	90789	95658
राजस्थान	79485	83168	87051	91216	95782	101200	108808	117219	126290
उत्तर प्रदेश	123951	132476	141426	150797	159412	167731	176477	185674	195323
उत्तराखंड	15880	17007	18181	19406	20687	22029	23438	24920	26480
चंडीगढ़	2070	2145	2223	2304	2388	2475	2566	2659	2756
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>397530</b>	<b>420047</b>	<b>443704</b>	<b>468196</b>	<b>493162</b>	<b>519399</b>	<b>549833</b>	<b>582182</b>	<b>616345</b>
गोवा	4802	5068	5332	5593	5855	6120	6389	6660	6932
गुजरात	113187	120693	128368	136159	144186	152475	160989	169732	178693
छत्तीसगढ़	31383	33463	35559	37840	40155	42661	45315	48146	51088
मध्य प्रदेश	81732	88022	94301	99871	104772	109727	114765	120027	125394
महाराष्ट्र	161926	171313	180338	189983	200288	211307	223171	235949	249628
दादरा एवं नगर हवेली	7653	8210	8775	9343	9920	10513	11120	11741	12373
दमन और दीव	2327	2449	2577	2712	2855	3006	3166	3337	3517
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>403010</b>	<b>429217</b>	<b>455250</b>	<b>481501</b>	<b>508032</b>	<b>535810</b>	<b>564915</b>	<b>595591</b>	<b>627624</b>
आंध्र प्रदेश	63290	68034	73090	78540	84429	90794	97181	104072	111485
तेलंगाना	67680	75164	80700	84603	88130	91836	95776	99945	104345
कर्नाटक	73636	77532	81622	85932	90381	95042	99916	105017	110368
केरल	27184	28535	29924	31371	32861	34393	35964	37582	39357
तमिलनाडु	117505	123724	130189	136643	144145	152357	161349	170822	180989
पुदुचेरी	3254	3387	3521	3664	3809	3959	4114	4279	4448
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>352549</b>	<b>376376</b>	<b>399047</b>	<b>420753</b>	<b>443754</b>	<b>468380</b>	<b>494301</b>	<b>521717</b>	<b>550992</b>
बिहार	28637	31017	35152	38416	41208	43926	46735	50717	54363
झारखंड	25880	27488	29052	30649	32209	33850	35544	37354	39252
ओडिशा	29124	30302	31224	32164	33172	34163	35219	36326	37453
पश्चिम बंगाल	61485	63979	66634	69361	72222	75264	78463	81915	85590
सिक्किम	548	577	607	638	669	702	737	773	810
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>145674</b>	<b>153363</b>	<b>162669</b>	<b>171228</b>	<b>179480</b>	<b>187906</b>	<b>196698</b>	<b>207085</b>	<b>217468</b>
असम	10831	11894	12959	14051	15164	16355	17631	18998	20462
मणिपुर	1592	1769	1925	2103	2300	2515	2760	3020	3300
मेघालय	2242	2378	2470	2566	2667	2771	2900	3036	3177
नागालैंड	930	992	1059	1129	1200	1275	1356	1441	1524
त्रिपुरा	1394	1456	1525	1595	1661	1731	1796	1866	1930
अरुणाचल प्रदेश	1089	1210	1345	1498	1669	1863	2081	2326	2601
मिजोरम	681	737	799	866	937	1013	1095	1181	1307
<b>उत्तर-पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>18758</b>	<b>20437</b>	<b>22083</b>	<b>23809</b>	<b>25598</b>	<b>27523</b>	<b>29619</b>	<b>31869</b>	<b>34301</b>
अंडमान और निकोबार	385	414	446	475	504	535	566	598	632
लक्षद्वीप	55	57	59	62	64	66	68	70	73
<b>अखिल भारत</b>	<b>1317962</b>	<b>1399913</b>	<b>1483257</b>	<b>1566023</b>	<b>1650594</b>	<b>1739618</b>	<b>1836001</b>	<b>1939111</b>	<b>2047434</b>

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2026-27 के लिए 19वें विद्युत ऊर्जा सर्वेक्षण (जनवरी, 2017 में प्रकाशित) में यथा प्रक्षेपित राज्य-वार व्यस्ततम मांग

(आंकड़े एमडब्ल्यू में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
दिल्ली	6764	6997	7233	7471	7712	7954	8217	8482	8751
हरियाणा	10397	10975	11596	12222	12819	13501	14415	15398	16451
हिमाचल प्रदेश	1683	1751	1822	1898	1977	2059	2146	2236	2331
जम्मू और कश्मीर	2565	2733	2920	3095	3332	3585	3859	4157	4482
पंजाब	12914	13559	14216	14886	15654	16431	17217	18009	18809
राजस्थान	12540	13133	13761	14435	15176	16048	17282	18651	20131
उत्तर प्रदेश	18821	20334	21948	23664	25331	26658	28053	29522	31064
उत्तराखंड	2536	2739	2953	3180	3420	3675	3945	4232	4538
चंडीगढ़	441	457	474	491	509	527	546	566	587
<b>उत्तरी क्षेत्र</b>	<b>62279</b>	<b>65919</b>	<b>69766</b>	<b>73770</b>	<b>77929</b>	<b>82017</b>	<b>86776</b>	<b>91835</b>	<b>97182</b>
गोवा	721	767	813	858	904	951	999	1047	1096
गुजरात	17734	18937	20172	21429	22730	24079	25471	26908	28387
छत्तीसगढ़	5080	5442	5809	6208	6613	7050	7513	8006	8518
मध्य प्रदेश	12829	13816	14802	15676	16445	17223	18014	18840	19682
महाराष्ट्र	23953	25544	27148	28866	30725	32717	34911	37269	39828
दादरा एवं नगर हवेली	1026	1112	1201	1291	1385	1483	1584	1689	1798
दमन और दीव	366	385	405	426	449	473	498	525	553
<b>पश्चिमी क्षेत्र</b>	<b>58654</b>	<b>62728</b>	<b>66847</b>	<b>71020</b>	<b>75275</b>	<b>79748</b>	<b>84502</b>	<b>89528</b>	<b>94825</b>
आंध्र प्रदेश	9544	10259	11021	11843	12731	13690	14656	15698	16820
तेलंगाना	11262	12712	13757	14499	15338	16086	16885	17738	18653
कर्नाटक	12169	12834	13534	14271	15033	15834	16674	17554	18481
केरल	4561	4788	5021	5263	5513	5770	6034	6305	6603
तमिलनाडु	17230	18213	19240	20273	21471	22784	24225	25750	27392
पुदुचेरी	518	539	561	583	606	630	655	681	708
<b>दक्षिणी क्षेत्र</b>	<b>52171</b>	<b>56007</b>	<b>59581</b>	<b>62975</b>	<b>66710</b>	<b>70579</b>	<b>74666</b>	<b>79002</b>	<b>83652</b>
बिहार	4904	5308	6016	6576	7054	7521	8003	8681	9308
झारखंड	4378	4656	4915	5193	5450	5733	6013	6326	6626
ओडिशा	4816	5016	5176	5340	5517	5691	5878	6073	6273
पश्चिम बंगाल	11267	11724	12191	12688	13318	13873	14435	15065	15680
सिक्किम	146	154	162	170	179	187	197	206	216
<b>पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>23868</b>	<b>25130</b>	<b>26633</b>	<b>28046</b>	<b>29500</b>	<b>30895</b>	<b>32319</b>	<b>34031</b>	<b>35674</b>
असम	2091	2297	2502	2713	2979	3271	3590	3868	4166
मणिपुर	303	339	372	410	453	499	553	611	667
मेघालय	427	453	470	488	508	528	552	578	605
नागालैंड	191	204	219	234	250	266	284	303	322
त्रिपुरा	333	351	371	391	411	432	452	474	495
अरुणाचल प्रदेश	202	224	249	278	309	345	386	431	482
मिजोरम	137	148	159	171	185	199	213	229	252
<b>उत्तर-पूर्वी क्षेत्र</b>	<b>3537</b>	<b>3856</b>	<b>4170</b>	<b>4499</b>	<b>4891</b>	<b>5319</b>	<b>5790</b>	<b>6235</b>	<b>6710</b>
अंडमान और निकोबार	78	84	91	97	103	109	115	122	129
लक्षद्वीप	10	11	11	11	12	12	13	13	13
<b>अखिल भारत</b>	<b>188360</b>	<b>200696</b>	<b>213244</b>	<b>225751</b>	<b>238899</b>	<b>252288</b>	<b>266844</b>	<b>282418</b>	<b>298774</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1104

जिसका उत्तर 20 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में सुधार

1104. श्री टी. जी. वेंकटेश:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत सुधार लाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : जी, हाँ।

(ख) : सुधार एक सतत प्रक्रिया है। प्रस्तावित नवीनतम सुधार, विद्युत अधिनियम 2003 और टैरिफ नीति में संशोधन से संबंधित हैं। इन सुधारों का विवरण अभी भी मसौदा स्तर पर है तथा इन विवरणों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) : जी, हाँ।

(घ) : राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझाव टैरिफ नीति और संशोधन विधेयक के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित हैं, जिनमें उपभोक्ता संतुष्टि, नवीकरणीय ऊर्जा, वितरण फ्रनचाइज़ी, विद्युत विनियामक आयोगों के सदस्यों तथा अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया, राष्ट्रीय प्रेषण केंद्र की शक्तियां, संविदा प्रवर्तन तंत्र, सब्सिडी, खुली पहुँच इत्यादि शामिल हैं। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार विमर्श करने के पश्चात टैरिफ नीति तथा संशोधन विधेयक को अंतिम रूप दिया जाएगा।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1105

जिसका उत्तर 20 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

**‘दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ के अंतर्गत गाँवों का विद्युतीकरण**

**1105. डॉ. फौजिया खान:**

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ‘दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ के अंतर्गत अब तक प्रत्येक राज्य के कितने गाँव शामिल किए गए हैं;
- (ख) इस अवधि के दौरान सरकार द्वारा कितनी निधि जारी की गई है और प्रत्येक राज्य द्वारा इसमें से कितनी निधि खर्च की गई;
- (ग) क्या राज्यों में विद्युतीकरण कार्य को अंजाम देने में कोई कठिनाई आ रही है क्योंकि अधिकांश गाँव वन क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं;
- (घ) यदि हाँ, तो उक्त कठिनाई का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) वर्ष 2020-21 के दौरान विद्युतीकरण के लिए, विशेषकर महाराष्ट्र राज्य में लक्षित जिलों/गाँवों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ङ) : भारत सरकार द्वारा गाँवों के विद्युतीकरण सहित, देशभर के विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसम्बर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) आरम्भ की गई थी। स्कीम के अंतर्गत, राज्यों द्वारा प्रस्तावित सभी गैर-विद्युतीकृत गाँवों, कठिन मार्गों, वन तथा दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित गाँवों सहित, के विद्युतीकरण को शामिल किया गया था। राज्यों ने सूचित किया है कि 28.04.2018 तक महाराष्ट्र सहित देशभर के सभी बसे हुए गैर-विद्युतीकृत जनसंख्या गाँवों का विद्युतीकरण हो गया है। वर्ष 2014-2015 से 25.04.2018 तक, कुल मिलाकर 19,779 गैर-विद्युतीकृत जनसंख्या गाँवों के विद्युतीकरण किए जाने की सूचना दी गई थी। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-1 पर दिया गया है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत (आरई परियोजनाओं तथा अतिरिक्त अवसंरचना सहित) भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में, वर्ष 2014-15 से 31.08.2020 तक गाँवों के विद्युतीकरण सहित विभिन्न विद्युतीकरण कार्यों के लिए राज्यों को 48,342 करोड़ रूपए वितरित किए गए हैं, जिसके विरुद्ध 47,274 करोड़ रूपए की कुल राशि व्यय की गई है। निर्मुक्त की गई तथा 31.08.2020 तक व्यय की गई धनराशि के राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध-11 पर दिए गए हैं।

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 20.09.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1105 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2014-15 से 28.04.2018 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत बसे हुए जनसंख्या गांवों के विद्युतीकरण का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों का नाम	विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1,590
2	असम	2,922
3	बिहार	3,247
4	छत्तीसगढ़	1,145
5	हिमाचल प्रदेश	34
6	जम्मू और कश्मीर	138
7	झारखंड	2,744
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	508
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	558
12	मेघालय	1,094
13	मिजोरम	101
14	नागालैंड	88
15	ओडिशा	3,294
16	राजस्थान	497
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1,557
19	उत्तराखंड	95
20	पश्चिम बंगाल	22
	<b>कुल</b>	<b>19,779</b>

\*\*\*\*\*

राज्य सभा में दिनांक 20.09.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1105 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

डीडीयूजीजेवाई (आरई परियोजनाओं तथा अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के अंतर्गत वितरित अनुदान तथा राज्यों द्वारा व्यय की गई निधि (31.08.2020 तक) का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों का नाम	वर्ष 2014-15 से वर्ष 2020-21 (31.08.2020 तक) के दौरान निर्मुक्त निधि (करोड़ रु. में)	व्ययित निधि* (करोड़ रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	534	534
2	अरुणाचल प्रदेश	502	470
3	असम	3,236	3,116
4	बिहार	7,565	7,565
5	छत्तीसगढ़	1,202	1,195
6	गुजरात	505	505
7	हरियाणा	107	107
8	हिमाचल प्रदेश	83	83
9	जम्मू और कश्मीर	671	613
10	झारखंड	3,274	3,246
11	कर्नाटक	1,153	1,151
12	केरल	301	301
13	लद्दाख	47	47
14	मध्य प्रदेश	3,228	3,182
15	महाराष्ट्र	1,223	1,114
16	मणिपुर	266	248
17	मेघालय	409	395
18	मिजोरम	130	120
19	नागालैंड	177	153
20	ओडिशा	3,721	3,502
21	पंजाब	172	153
22	राजस्थान	2,927	2,876

23	सिक्किम	67	56
24	तमिलनाडु	489	489
25	तेलंगाना	232	232
26	त्रिपुरा	444	409
27	उत्तर प्रदेश	12,490	12,337
28	उत्तराखंड	661	563
29	पश्चिम बंगाल	2,507	2,493
30	गोवा	10	10
31	दादरा एवं नगर हवेली	1	1
32	पुदुचेरी	7	6
33	अंडमान निकोबार	3	3
	<b>कुल</b>	<b>48,342</b>	<b>47,274</b>

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1106

जिसका उत्तर 20 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन

1106. श्री के.जे. एल्फोस:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक कारों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) पूरे भारत में कितने चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं; और

(ग) आगामी पांच वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) : भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों को सुगम्य बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

- i. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं: विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 13.04.2018 को एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया था कि विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के संदर्भ में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।
- ii. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर - संशोधित दिशानिर्देश और मानक : विद्युत मंत्रालय ने राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों और हितधारकों के साथ गहन विचार विमर्श करने के उपरांत, दिनांक 14.12.2018 को "इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर-दिशानिर्देश एवं मानक" जारी किए हैं, जिन्हें दिनांक 01.10.2019 को संशोधित किया गया था और राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर ईवी सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रोल आउट करने के लिए दिनांक 08.06.2020 को एक और संशोधन जारी किया गया था।
- iii. इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन हेतु ग्रिड कनेक्टिविटी और सुरक्षा विनियम :  
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने चार्जिंग स्टेशनों की सुगम्यता के संदर्भ में सीईए के निम्नलिखित विनियमों में संशोधन किए हैं :  
क. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (वितरित उत्पादन संसाधनों से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) संशोधन विनियम, 2019

ख. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) संशोधन विनियम, 2019

iv भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (xईवी) को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) 01 अप्रैल, 2015 से भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (xईवी) को बढ़ावा देने के लिए फास्टर अडोप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (फेम इंडिया) योजना का संचालन कर रहा है। स्कीम का 31 मार्च, 2019 चरण-I तक उपलब्ध था। फेम इंडिया योजना के चरण- II को 01.04.2019 से 3 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इस चरण में मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण को सहयोग पर जोर दिया गया है और मांग प्रोत्साहन के माध्यम से, लगभग 7000 ई-बसों, 5 लाख ई-3 व्हीलरों, 55000 ई -4 व्हीलर पैसेंजर कारों और 10 लाख ई-टू व्हीलरों के जरिए सहयोग देने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोगकर्ताओं की चिंता को दूर करने का भी समर्थन किया गया है। स्कीम के अंतर्गत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

v. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयू) ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा के लिए उप-नियम बनाने और शहरी तथा क्षेत्रीय विकास योजना सूत्रीकरण के लिए निम्नलिखित संशोधन जारी किए हैं :

क. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मॉडल बिल्डिंग उप-नियमों (एमबीबीएल-2016) में संशोधन  
ख. इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए शहरी तथा क्षेत्रीय विकास योजना सूत्रीकरण और कार्यान्वयन दिशानिर्देशों (यूआरडीपीएफआई-2014) में संशोधन

(ख) एवं (ग) : विद्युत मंत्रालय के अधीन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल), पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीजीसीआईएल) और एनटीपीसी लिमिटेड देश भर में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (पीसीएस) की स्थापना के काम में लगे हुए हैं। भारतवर्ष में, अब तक, एनटीपीसी ने 90 पीसीएस स्थापित किए हैं, ईईएसएल ने 97 पीसीएस स्थापित किए हैं तथा पीजीसीआईएल ने 13 पीसीएस स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र-ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) ने देशभर में 120 चार्जिंग स्टेशन और 22 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त, फेम-इंडिया स्कीम के चरण-I के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) ने बेंगलुरु, चंडीगढ़, जयपुर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जैसे शहरों में 43 करोड़ रुपए (लगभग) के लगभग 500 चार्जिंग स्टेशन/इंफ्रास्ट्रक्चर संस्वीकृत किए हैं। डीएचआई ने फेम इंडिया (फास्टर अडोप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया) चरण II के अंतर्गत अखिल भारतीय आधार पर 24 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के 62 शहरों में 2636 इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों को भी संस्वीकृति प्रदान की है।

दिनांक 01.10.2019 को जारी "इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर-दिशानिर्देश एवं मानक" के अनुसार, ईवी सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल आउट चरणबद्ध तरीके से करने की योजना बनाई गई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

### चरण I (1-3 वर्ष)

4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले सभी मेगा शहरों (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार), इन मेगा शहरों से जुड़े सभी मौजूदा एक्सप्रेसवे और नीचे दी गई सूची के अनुसार इन मेगा शहरों में से प्रत्येक के साथ जुड़ने वाले महत्वपूर्ण राजमार्ग

### क. चार मिलियन से अधिक शहरों की सूची

- i. मुम्बई
- ii. दिल्ली
- iii. बेंगलुरु

- iv. हैदराबाद
- v. अहमदाबाद
- vi. चेन्नई
- vii. कोलकाता
- viii. सूरत
- ix. पुणे

**ख. कोरीडोरों की सूची**

- i. मुम्बई-पुणे एक्सप्रेसवे
- ii. अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रेसवे
- iii. दिल्ली-आगरा यमुना एक्सप्रेसवे
- iv. दिल्ली-जयपुर
- v. बेंगलुरु-मैसूर
- vi. बेंगलुरु-चेन्नई
- vii. सूरत-मुम्बई एक्सप्रेसवे
- viii. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे
- ix. ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे
- x. दिल्ली-आगरा एनएच2 एक्सप्रेसवे
- xi. हैदराबाद ओआरआर एक्सप्रेसवे
- xii. प्रत्येक मेगाशहर से जुड़े 5 राजमार्ग

**चरण II (3-5 वर्ष)**

राज्य की राजधानियों, केंद्रशासित प्रदेशों जैसे बड़े शहरों को भी वितरित और प्रदर्शनकारी प्रभाव के लिए शामिल करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक मेगा शहर से जुड़े महत्वपूर्ण राजमार्गों को शामिल किए जाने की भी योजना है

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1107

जिसका उत्तर 20 सितंबर, 2020 को दिया जाना है।

ताप विद्युत और पनविद्युत संयंत्रों का उन्नयन

1107. श्री संभाजी छत्रपती:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उचित रख-रखाव और मशीनों एवं उपकरणों के समयबद्ध उन्नयन की कमी के कारण सरकार के नियंत्रणाधीन ताप विद्युत और पनविद्युत संयंत्रों की दक्षता काफी घट गई है जिसके कारण विद्युत उत्पादन स्थिर हो गया है या घट गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार के नियंत्रणाधीन प्रत्येक विद्युत संयंत्रों के संबंध में इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे ताप विद्युत और पनविद्युत संयंत्रों का उन्नयन करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): मशीनों और उपकरणों के उचित रखरखाव और समय पर उन्नयन की कमी के कारण केंद्रीय क्षेत्र में तापीय और जल विद्युत संयंत्रों की कार्यक्षमता कम नहीं हुई है।

(ग) और (घ) : सरकार मौजूदा पुराने तापीय और जल विद्युत संयंत्रों में पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण (आरएंडएम)/उन्नयन कार्य करने के लिए विद्युत उत्पादन करने वाली यूटिलिटियों को प्रोत्साहित करती है। कार्यक्षमता में सुधार, बेहतर संयंत्र उपलब्धता और क्षमता की वृद्धि के माध्यम से ऊर्जा संसाधनों के इष्टतमीकरण हेतु लागत प्रभावी विकल्प के रूप में, यह एक सतत् प्रक्रिया है।

वर्ष 2017-22 के दौरान, 14,929 मेगावाट तापीय विद्युत स्टेशनों की 71 इकाइयों (केंद्रीय क्षेत्र में आरएंडएम के लिए 224 मेगावाट की 7 इकाइयां और एल.ई. के लिए 7570 मेगावाट की 34 इकाइयां और राज्य क्षेत्र में आरएंडएम के लिए 7135 मेगावाट की 30 इकाइयां) के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण (आरएंडएम)/कार्यक्षमता विस्तार (एलई) कार्यों की पहचान की गई है। इन तापीय विद्युत स्टेशनों की सूची अनुबंध -1 पर दी गई है। इनमें से 887 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए 6 तापीय विद्युत स्टेशनों (2 केंद्रीय क्षेत्र अर्थात् कथलगुरी सीसीजीटी की इकाई सं. 3 और 6 और 4 राज्य क्षेत्र अर्थात् उकाई की इकाई सं. 4, वानकबोरी की इकाई सं. 3, कोराडी की इकाई सं. 6

और ओबरा तापीय विद्युत स्टेशनों की इकाई सं. 12) के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) / कार्यक्षमता विस्तार के कार्य पूरे हो गए हैं। शेष इकाइयों के लिए आरएंडएम / एल. ई. का कार्य विभिन्न पूर्व-चरणों जैसे यूटिलिटी से अनुमोदन, डीपीआर तैयार करना, आरएलए / व्यवहार्यता अध्ययन और बोली / एनआईटी अवार्ड आदि के अधीन है। वर्तमान में, 3 तापीय विद्युत स्टेशन (ओबरा की इकाई सं. 7 और 13 और बरौनी तापीय विद्युत स्टेशन की इकाई सं 6) में 410 मेगावाट क्षमता के लिए पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) / कार्यक्षमता विस्तार कार्य प्रगति पर हैं।

वर्ष 2017-22 के दौरान, 47 जल विद्युत स्टेशनों (केंद्रीय क्षेत्र में 9 और राज्य क्षेत्र में 38) में 9294.25 मेगावाट की कुल क्षमता के लिए कार्यक्षमता विस्तार और उन्नयन के माध्यम से आरएंडएम हेतु कार्यक्रमबद्ध किया गया है। इन जल विद्युत स्टेशनों की सूची **अनुबंध-II** पर दी गई है। 47 स्कीमों में से, 882.4 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता की केन्द्रीय क्षेत्र में तीन स्कीमें (गंगूवाल व कोटला और देहर पावर हाउस (इकाई -6) और सलाल एचईपी) और राज्य क्षेत्र में दो स्कीमें (शोलायार-I और भद्रा रिवर बेड) जून, 2020 तक पूरी हो गई हैं।

\*\*\*\*\*

ताप विद्युत तथा जल विद्युत उत्पादन संयंत्रों के उन्नयन से संबंधित राज्य सभा में दिनांक 20.09.2020 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1107 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

यूनिटों की स्थिति जिनमें वर्ष 2017-22 के दौरान कार्यान्वयन हेतु जीवन विस्तार/पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण के कार्य शुरू किए गए हैं

राज्य क्षेत्र

जीवन विस्तार कार्य

(30.06.2020 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	यूनिट संख्या	क्षमता(मेगावाट)
1.	उत्तर प्रदेश	ओबरा	12	200
2.	उत्तर प्रदेश	ओबरा	13	200
3.	उत्तर प्रदेश	अनपरा टीपीएस	1	210
4.	उत्तर प्रदेश	अनपरा टीपीएस	2	210
5.	उत्तर प्रदेश	अनपरा टीपीएस	3	210
6.	गुजरात	उकई	3	200
7.	गुजरात	उकई	4	200
8.	गुजरात	उकई	5	200
9.	गुजरात	वनकबोरी	1	210
10.	गुजरात	वनकबोरी	2	210
11.	गुजरात	वनकबोरी	3	210
12.	महाराष्ट्र	कोराडी	6	210
13.	महाराष्ट्र	कोराडी	7	210
14.	महाराष्ट्र	भुसावल	2	210
15.	महाराष्ट्र	भुसावल	3	210
16.	महाराष्ट्र	नासिक	3	210
17.	महाराष्ट्र	नासिक	4	210
18.	महाराष्ट्र	नासिक	5	210
19.	महाराष्ट्र	पर्ली	4	210
20.	महाराष्ट्र	पर्ली	5	210
21.	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	3	210
22.	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	4	210
23.	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	5	500
24.	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	6	500
25.	महाराष्ट्र	खापर खेडा	1	210
26.	महाराष्ट्र	खापर खेडा	2	210
27.	बिहार	बरौनी	6	110
28.	पश्चिम बंगाल	कोलाघाट	1	210
29.	पश्चिम बंगाल	कोलाघाट	2	210
30.	पश्चिम बंगाल	कोलाघाट	3	210
31.	पश्चिम बंगाल	कोलाघाट	5	210
32.	कर्नाटक	रायचुर	1	210
33.	कर्नाटक	रायचुर	2	210
34.	कर्नाटक	रायचुर	3	210
उप-जोड राज्य क्षेत्र (जीवन विस्तार)				7570

राज्य क्षेत्र

(पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम)

क्र. सं.	राज्य	स्टेशन का नाम	यूनिट संख्या	क्षमता(मेगावाट)
35.	उत्तर प्रदेश	ओबरा	7	100
36.	उत्तर प्रदेश	अनपरा 'बी	4	500
37.	उत्तर प्रदेश	अनपरा 'बी	5	500
38.	पंजाब	रोपर	1	210
39.	पंजाब	रोपर	2	210
40.	पंजाब	रोपर	5	210
41.	पंजाब	रोपर	6	210
42.	पंजाब	जीएच टीपीएस (Leh. Moh.)	1	210
43.	पंजाब	जीएच टीपीएस (Leh. Moh.)	2	210
44.	राजस्थान	कोटा	3	210
45.	राजस्थान	कोटा	4	210
46.	राजस्थान	कोटा	5	195
47.	राजस्थान	सूरतगढ टीपीएस	1	250
48.	राजस्थान	सूरतगढ टीपीएस	2	250
49.	राजस्थान	सूरतगढ टीपीएस	3	250
50.	राजस्थान	सूरतगढ टीपीएस	4	250
51.	छत्तीसगढ	कोरबा (पश्चिम)	1	210
52.	छत्तीसगढ	कोरबा (पश्चिम)	2	210
53.	छत्तीसगढ	कोरबा (पश्चिम)	3	210
54.	छत्तीसगढ	कोरबा (पश्चिम)	4	210
55.	मध्य प्रदेश	संजय गाँधी	1	210
56.	मध्य प्रदेश	संजय गाँधी	2	210
57.	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	7	500
58.	महाराष्ट्र	खापरखेडा	3	210
59.	महाराष्ट्र	खापरखेडा	4	210
60.	तमिलनाडु	तुतीकोरिन टीपीएस	1	210
61.	तमिलनाडु	तुतीकोरिन टीपीएस	2	210
62.	तमिलनाडु	तुतीकोरिन टीपीएस	3	210
63.	तमिलनाडु	तुतीकोरिन टीपीएस	4	210
64.	तमिलनाडु	तुतीकोरिन टीपीएस	5	210
उप-जोड राज्य क्षेत्र (आर एवं एम )				7135
कुल राज्य क्षेत्र (एलई+आर एंड एम)				14705

केंद्रीय क्षेत्र आर एंड एम (गैस आधारित)

क्र. सं.	यूटिलिटी	स्टेशन का नाम	यूनिट संख्या	क्षमता(मेगावाट)
65.	नीपको	काथलगुरी सीसीजीटी	जीटी-1	33.50
66.		काथलगुरी सीसीजीटी	जीटी -2	33.50
67.		काथलगुरी सीसीजीटी	जीटी -3	33.50
68.		काथलगुरी सीसीजीटी	जीटी -6	33.5
69.		काथलगुरी सीसीजीटी	एसटी-1	30.00
70.		काथलगुरी सीसीजीटी	एसटी -2	30.00
71.		काथलगुरी सीसीजीटी	एसटी -3	30.00
कुल केंद्रीय क्षेत्र - गैस (आर एंड एम)				224
कुल आर एंड एम /एलई (राज्य+ केंद्र)			71	14929

\*\*\*\*\*

ताप विद्युत तथा जल विद्युत उत्पादन संयंत्रों के उन्नयन से संबंधित राज्य सभा में दिनांक 20.09.2020 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1107 के भाग (ग) एवं (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

2017-22 के दौरान पूरा करने के लिए कार्यक्रमबद्ध हाइड्रो आरएमयू और एलई स्कीमों की राज्य-वार सूची					
क्र.सं.	परियोजना का नाम, एजेंसी की सं. क्ष. (सं. X मे. वा.)	केंद्रीय क्षेत्र (सीएस) / राज्य क्षेत्र (एसएस)	आरएमयू और एलई के तहत कवर की गई क्षमता (सं.X मे. वा)		श्रेणी
<b>क. पूरी की गई योजनाएं</b>					
<b>हिमाचल प्रदेश</b>					
1	गंगूवाल(1x29.25+2x24.2) व कोटला (1x29.25+2x24.2), बीबीएमबी	सीएस	1x24.2 (इं.-2)	1x24.2 (इं.-3)	आरएम एंड एलई
2	देहर पावर हाउस (इकाई-6), बीबीएमबी (6x165)	सीएस		1x165	आर एंड एम
3	सलाल, एनएचपीसी (6x115)	सीएस		5x115	आर एंड एम
<b>तमिलनाडु</b>					
4	शोलेयर- I, टीएनजीईडीसीओ- I (2x35)	एसएस		2x35	आरएमयू एंड एलई
<b>कर्नाटक</b>					
5	भद्रा रिवर बेड इकाइयाँ, केपीसीएल (2x12)	एसएस		2x12	आर एंड एम
<b>उप-जोड़ (क)</b>			<b>882.40</b>		
<b>ख. चालू योजनाएं - कार्यान्वयनाधीन</b>					
<b>हिमाचल प्रदेश</b>					
6	गंगूवाल और कोटला पावर हाउस, बीबीएमबी (4x24.2)	सीएस		4x24.2	आर एंड एम
7	भाखड़ा एलबी, बीबीएमबी (5x108)	सीएस		5x108	आरएमयू एंड एलई
8	भाखड़ा आरबी, बीबीएमबी (5x1157)	सीएस		5x157	आर एंड एम
9	बैरा सियूल, एनएचपीसी (3x60)	सीएस		3x60	आरएम एंड एलई
10	भाभा पावर हाउस, एचपीएसईबी (3x40)	एसएस		3x40	आरएम एंड एलई
11	देहर पावर हाउस (इं. -3),बीबीएमबी (1x165)	सीएस		1x165	आर एंड एम
<b>जम्मू व कश्मीर</b>					
12	चिनैनी, जेएंडकेएसपीडीसी (5x4.66)	एसएस		5x4.66	आरएम एंड एलई
13	गांदरबल, जेएंडकेएसपीडीसी (2x3+2x4.5)	एसएस		2x4.5	आरएम एंड एलई
<b>उत्तराखंड</b>					
14	तिलोथ, यूजेवीएनएल (3x30)	एसएस		3x30	आरएम एंड एलई
15	धालीपुर, यूजेवीएनएल (3x17)	एसएस		3x17	आरएम एंड एलई
<b>उत्तर प्रदेश</b>					
16	रिहंद, यूपीजेवीएनएल (6x50)	एसएस		6x50	आरएम एंड एलई
17	ओबरा, यूपीजेवीएनएल (3x33)	एसएस		3x33	आरएम एंड एलई
<b>गुजरात</b>					
18	उकाई, जीएसईसीएल (4x75)	एसएस		3x75 (इं.-1, 2 व 4)	आर एंड एम
19	कडना पीएसएस, जीएसईसीएल (4x60)	एसएस		4x60	आर एंड एम
<b>तेलंगाना</b>					
20	नागार्जुन सागर चरण-II का कार्य, टीएसजीईएनसीओ (1x110+7x100.8)	एसएस		1x110+7x100.8	आर एंड एम
21	नागार्जुन सागर लेफ्ट कैनाल पावर हाउस, टीएसजीईएनसीओ, (2x30.6)	एसएस		2x30.6	आर एंड एम

<b>कर्नाटक</b>				
22	मुनिराबाद डैम पावर हाउस, केपीसीएल (2x9 + 1x10)	एसएस	2x9 + 1x10	आर एंड एम
23	नगझरी केपीसीएल (3x150)	एसएस	3x150 (इ.-1 से 3)	आर एंड एम
24	शिवसमुद्रम, केपीसीएल (6x3+4x6)	एसएस	6x3+4x6	आरएम एंड एलई
<b>केरल</b>				
25	शोलायार, केएसईबी (3x18)	एसएस	3x18	आरएम एंड एलई
26	इडुक्की प्रथम चरण, केएसईबी (3x130)	एसएस	3x130	आर एंड एम
27	कुट्टीयाडी, केएसईबी (3x25)	एसएस	3x25	आरएमयू एंड एलई
<b>मध्य प्रदेश</b>				
28	बरगी,एमपीजीसीएल (2x45)	एसएस	2x45	आर एंड एम
29	पंच, एमपीजीसीएल (2x80)	एसएस	2x80	आर एंड एम
30	बाणसागर टन- I, एमपीजीसीएल (3x105)	एसएस	3x105	आर एंड एम
<b>ओडिशा</b>				
31	हीराकुड-I ओएचपीसी (2x37.5)	एसएस	2x37.5 (इ.5व 6)	आरएमयू एंड एलई
32	हीराकुड -II (चिपलीमा), ओएचपीसी (3x24)	एसएस	1x24 (इ.-3)	आरएम एंड एलई
33	बालीमेला, ओएचपीसी (6x60)	एसएस	6x60	आरएम एंड एलई
<b>उप योग(क)</b>			<b>5863.90</b>	
<b>ग. चालू योजनाएं - निविदा के अधीन</b>				
<b>हिमाचल प्रदेश</b>				
34	गिरी, एचपीएसईबी (2x30)	एसएस	2x30	आरएम एंड एलई
<b>पंजाब</b>				
35	मकेरियां च.I, च.II, च.III और च.IV, पीएसपीसीएल (3x15, 3x15,3x19.5&3x19.5)	एसएस	3x15, 3x15, 3x19.5& 3x19.5	आर एंड एम
36	शानन एचईपी, पीएसपीसीएल (1x50+4x15)	एसएस	1x50+4x15	आर एंड एम
<b>उत्तराखंड</b>				
37	रामगंगा, यूजेवीएनएल (3x66)	एसएस	3x66	आरएम एंड एलई
38	धकरनी, यूजेवीएनएल (3x11.25)	एसएस	3x11.25	आरएम एंड एलई
<b>कर्नाटक</b>				
39	कद्र डैम पावर हाउस, केपीसीएल (3x50)	एसएस	3x50	आरएम एंड एलई
40	कोडासल्ली डैम पावर हाउस, केपीसीएल (3x40)	एसएस	3x40	आरएम एंड एलई
41	लिंगनामाकी डैम पावर हाउस, केपीसीएल (2x27.5)	एसएस	2x27.5	आरएम एंड एलई
42	गेरुसोपा डैम पावर हाउस (शरवती टेल रेस), केपीसीएल (4x60)	एसएस	4x60	आरएम एंड एलई
<b>झारखंड</b>				
43	पंचेत, डीवीसी (2x40)	सीएस	1x40 (इ.-1)	आरएमयू एंड एलई
<b>मेघालय</b>				
44	उमियम च. III, (किर्देमकुलाई) एमईपीजीसीएल (2x30)	एसएस	2x30	आरएमयू एंड एलई
<b>उप योग (ग)</b>			<b>1273.75</b>	
<b>घ. चल रही योजनाएं - डीपीआर तैयार करने / अंतिम रूप देने / अनुमोदन के अधीन</b>				
<b>कर्नाटक</b>				
45	एमजीएचई, केपीसीएल (4x21.6+4x13.2)	एसएस	4x21.6+ 4x13.2	आरएम एंड एलई
46	सुपा डैम पावर हाउस, केपीसीएल (2x50)	एसएस	2x50	आरएम एंड एलई
47	शरवती जनरेटिंग स्टेशन, केपीसीएल (10x103.5)	एसएस	10x103.5	आरएम एंड एलई
<b>उप योग (घ)</b>			<b>1274.20</b>	
<b>कुल योग (क+ख+ग+घ)</b>			<b>9294.25</b>	

\*\*\*\*\*